जिला पंचायती राज अधिकारी
जनपद–चमोली।

विषयः–राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत तम्बाकू मुक्त पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या –UKHWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters–III/5198 दिनांक 30/03/2022 के क्रम में अवगत कराया गया है कि जनपद में समस्त पंचायतों को तम्बाकू मुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जानी है, जिसमें कोटपा एक्ट की धारा 04 (सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिषेध) तथा धारा 05(तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिषेध) तथा धारा 06 (18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचने एंव अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिषेध) एंव धारा ख (विधालय के 100 गज की परिधि पर तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध) का अनुपालन तथा चेतावनी बोर्डो का स्पष्ट प्रदर्शन किया जाना है।

2–ग्राम पंचायतो में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक बैठक की जानी है, जिसमें प्रधान, कम्युनिटि हैल्थ ऑफिसर, आशा, ए0एन0एम0, आंगनवाड़ी व गांव के समस्त व्यक्ति उपस्थित हों, यह बैठक जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में की जानी है।

3–चार धाम यात्रा के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में आने वाले समस्त दुकानें(जिनमें तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से प्रदर्शित किया गया हो) को प्रतिवन्धित किया जाना है।

4–विश्व तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई 2022 के तहत समस्त ग्राम पंचायतो में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को तम्बाकू उत्पाद छोड़ने हेतु 31 मई 2022 को शपथ लेंगे। इस क्रम में पंचायती राज विभाग के तहत जिला स्तर व समस्त विकासखण्डों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या दिनांक 8 मई 2022 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

अतः आप अपने स्तर से उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चमोली।
OIC

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित
(1)मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 चमोली।
(2)जिला अधिकारी महोदय, चमोली।
(3)राज्य नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम उत्तराखण्ड।
(4)जिला नोडल अधिकारी, एन0टी0सी0पी0 कार्यक्रम चमोली।

मुख्य चिकित्सा–अधिकारी
चमोली।
OIC